कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

–ज्ञापन–

क्रमांक क/भू–अर्जन/21/2013 जगदलपुर, दिनॉक 10/जुलाई/ 2017

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
जिला कार्यालय जगदलपुर।

0000

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे विशाखापटनम के प्रस्ताव अनुसार जगदलपुर से सीलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन निर्माण कार्य के लिए ग्राम **परपा** , पटवारी हल्का नंबर 13 ,राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (अ) , तहसील जगदलपुर की निजी भूमि रकबा **0.32** हेक्टेयर अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः भूमि–अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के नियम **24** के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल से प्राप्त सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है। कृपया उक्त सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट कलेक्टर बस्तर के बेवसाईड पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

5/7/17

(धनंजय देवांगन)
कलेक्टर,
बस्तर जिला

कार्यालय तहसीलदार, जगदलपुर जिला–बस्तर ।

//ज्ञापन//

क्रमांक 45 / तह0वाचक / 2017 जगदलपुर,दिनांक 13.06.2017

प्रति

कलेक्टर,
(भू–अर्जन शाखा)
बस्तर जिला,
जगदलपुर ।

विषय :– समाजिक समाधात निर्धारण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में ।

संदर्भ :– आपका आदेश क्रमांक क/भू–अर्जन/21/2013 जगदलपुर दिनांक 22.04.2017

––00––

विषयान्तर्गत लेख है कि उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) तट रेल्वे विशाखापट्नम के प्रस्ताव अनुसार जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन निर्माण कार्य के लिये ग्राम परपा पटवारी हल्का नंबर 13 राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (अ) तहसील जगदलपुर की निजी भूमि खसरा नंबर 106 रकबा 1.83 हेक्टेयर में से 0.32 हेक्टेयर उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे विशाखापट्नम के पक्ष में अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय –2 धारा 4 से 6 एवं भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाधात निर्धारण, सहमति एवं जनसुनवाई) नियम 2016 में निहित प्रावधानों के तहत प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक सामाधात अध्ययन कर सामाजिक समाधात निर्धारण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत् दल गठित किया गया है ।

दिनांक 27.06.2017 को गठित दल के द्वारा निर्धारित क्षेत्र का सामाजिक समाधात अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्थल का निरीक्षण किया गया । पंचनामा की प्रति संलग्न है ।

स्थल निरीक्षण से यह पाया गया कि प्रभावित भूमि ग्राम परपा पटवारी हल्का नंबर 13 राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (अ) तहसील जगदलपुर की निजी भूमि खसरा नंबर 106 रकबा 1.83 हेक्टेयर में से 0.32 हेक्टेयर राजपति त्रिपाठी पति स्व0 हरिप्रसाद त्रिपाठी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । उक्त भूमि रेल्वे लाईन से लगी हुई है । प्रभावित भूमि से अर्जन से दुरस्थ अंचल क्षेत्रों में

यातायात एवं परिवहन सुविधाओं में वृद्धि होगी । इसके साथ ही व्यापार तथा व्यवसाय में वृद्धि होगी, जिससे शासन के राजस्व में वृद्धि होगी । सुचारू रूप से परिवहन का विकास होने से स्थानीय लोगों को रोजगार तथा शिक्षा के नये अवसर उपलब्ध होंगे । जिससे लोगों के सामाजिक, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी । प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वृक्ष तथा अचल सम्पत्ति स्थित नहीं है । जिसे भूमि अर्जन से पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है । अतः उपरोक्त सभी सकारात्मक पक्षों को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों का भू–अर्जन किया जाना उचित होगा ।

प्रतिवेदन मय दस्तावेजों के साथ सादर सम्प्रेषित है ।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार ।

Madli

तहसीलदार,
जगदलपुर

प्ररूप–दो

(नियम 18 देखिये)

भाग–क–पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्ररूप

स.क्रं.	संबंधित व्यक्ति का विवरण		
1	अधिनियम की धारा 3 (ग) (एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	श्रीमती राजपाली त्रिपाठी	
2	पति/~~पत्नी~~ का नाम	स्व. हरिप्रसाद त्रिपाठी	
3	पिता/~~माता~~ का नाम	स्व. रामसुख शुक्ला	
4	पता	गंगानगर वार्ड गीदम रोड जगदलपुर	
5	गाम/~~बस्ती~~	परपा	
6	ग्राम पंचायत/~~नगर पालिका~~/~~नगरीय~~	परपा	
7	तहसील/~~तालुका~~	जगदलपुर	
8	जिला	बस्तर	
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यस्कों सहित) (1) अरविंदेश त्रिपाठी 44 पुत्र (2) अराधना त्रिपाठी पत्नी अरविंदेश 40 वर्ष बहू (3) अनुकृति त्रिपाठी पुत्री अरविंदेश 13 वर्ष पोती (4) अभिनव त्रिपाठी पुत्र अरविंदेश - 10 वर्ष पोता	(5) विशेष त्रिपाठी पिता स्व. रविंद्र 28 वर्ष पोता (6) मिथिलेश त्रिपाठी 40 वर्ष पुत्र (7) सविता त्रिपाठी पत्नी मिथिलेश 3[illegible] (8) अनिता त्रिपाठी 36 वर्ष पुत्री (9) विवेक त्रिपाठी 30 वर्ष पुत्र (10) रिंकू त्रिपाठी पिता मिथिलेश 12 वर्ष पोती	
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार		
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.32 हे.	
12	प्लाट नं.	106	
13	अधिकारों का अभिलेख	भूमिस्वामी	
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	नहीं	
15	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि कोई हो	नहीं	
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	नहीं	
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूँ, (कृपया गोला लगाएं) :		
	(एक) मैने इस सहमति प्ररूप की अंर्तवस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और ..... भाषा में मुझे समझा दिया गया है और	हां ✓	नहीं
	(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	हां	नहीं
	(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	हां ✓	नहीं

	① अखिलेश - A - ⑤ अनिता Anita राजपती त्रिपाठी ② आराधना Aripathi ⑥ विशेष (राजपती त्रिपाठी) ③ मिथिलेश - M Tripathi प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा ④ सविता - सविता त्रिपाठी ⑦ विवेक - अंगूठे का निशान और तारीख
18	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन, निबंधन एवं शर्तें प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्त प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए।
	Madhu 6/7/17 हस्ताक्षरित प्ररूप तहसीलदार पदाभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख
	यदि वे सहमति देने से इंकार करते है या यदि मैं यह कथन चुनते हैं कि वे इस प्ररूप पर सहमति नहीं देते हैं तो किसी व्यक्ति को धमकाना या उन्हें कोई हानि पहुंचाना विधि के अधीन एक अपराध है। इसमें, कोई धमकी या ऐसा कृत्य जिससे उन्हें धन की हानि पहुंचे, जो उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल करें या कृत्य, जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार को क्षति पहुंचे, सम्मिलित है। यदि इस प्रकार की कोई धमकी दी गई है तो यह प्ररूप अकृत और शून्य है।

प्ररूप–तीन

सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन

(नियम 23 देखिये)

1. परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण :–

क)	कुल जनसंख्या	(एक) पुरूष 569	(दो) महिला 720		
ख)	बच्चों की संख्या	(एक) पुरूष 36	(दो) महिला 48		
ग)	जातिवार जनसंख्या	(एक) अ.ज.जा. 792	(दो) ज.जा. 05		
		(तीन) अ.पि.व. 27	(चार) अन्य 465		
घ)	धर्मवार जनसंख्या	(एक) हिन्दू 1289	(दो) मुस्लिम नहीं		
		(तीन) सिक्ख नहीं	(चार) ईसाई नहीं		
		(पांच) बौद्ध नहीं	(छः) अन्य नहीं		

2. गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या 245
3. वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या 23
4. निराश्रित पेंशनरों की संख्या 1
5. निरक्षर पुरूष एवं महिलाओं की संख्या 338
6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन नहीं
7. प्रशासनिक संगठन नहीं
8. राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी
9. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य नहीं
10. भूमि का उपयोग–
    - (एक) कृषि भूमि 632.380
    - (दो) पड़त भूमि 47.600
    - (तीन) सिंचित एक फसली भूमि 6.610
    - (चार) सिंचित दुफसली भूमि 35.200
    - (पांच) असिंचित भूमि 511.060

11. जोत का आकार– (एक) लघु कृषकों की संख्या 79

(दो) सीमांत कृषकों की संख्या 108

(तीन) कुल खातों की संख्या 316

(चार) भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या 01

(पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक से दी जाये) 44 23

12. पशुधन – (एक) पशुधन की संख्या 278

(दो) दुधारू पशुधन की संख्या 20

13. प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार – नहीं

14. पलायन – नहीं

15. रोजगार में महिलाओं की भागीदारी – हाँ

16. खाद्य सुरक्षा – हाँ

17. अन्य स्थानीय रोजगार – नहीं

18. मजदूरी दर – शासन द्वारा निर्धारित दर

19. ऋण तक पहुंच – उपलब्ध है।

20. परिवहन एवं सड़क – उपलब्ध है।

21. सिंचाई – निजी सिंचाई

22. बाजार तक पहुंच – उपलब्ध है।

23. पर्यटन स्थल – नहीं

24. सहकारी संस्थाएं – शा० उचित मूल्य की दूकान

25. रहन–सहन–

(एक) धारणाएं, सौंदर्यपक्तता मोह एवं अभिलाषा – साधारण

(दो) गृह

(तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान — भवन उपलब्ध है

(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल — माता मंदिर उपलब्ध है

(पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज सिस्टम इत्यदि) नहीं

(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनबाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यदि) प्रा०-2 पू.मा.-01 उप.स्व.केन्द्र 03 01

(सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा । पुलिस थाना परपा , -

महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. भूमि जीविका और आय पर समाधान–

(क) रोजगार के स्तर और प्रकार — कृषि एवं मजदूरी

(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके — कृषि

(ग) आय के स्तर — न्यूनतम + मध्यम

(घ) खाद्य सुरक्षा — है

(ड.) जीवन निर्वाह का स्तर — साधारण

(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण -

(छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच - उपलब्ध है।

2. भौतिक संसाधनों पर समाघात –

(क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात लागू नहीं

(ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव लागू नहीं

3. निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात–

(क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता — लागू नहीं

(ख) गृह सुविधाओं की क्षमता — लागू नहीं

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव — लागू नहीं

(घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू नहीं

(ड.) निजी संपत्तियों जैसे बोरवेल इत्यादि पर समाघात — लागू नहीं

4. स्वास्थ्य समाघात–

(क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात — लागू नहीं

(ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात — लागू नहीं

5. सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात–

(क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण — लागू नहीं

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन — लागू नहीं

(ग) आर्थिक, पारिस्थिकी संतुलन में परिवर्तन — लागू नहीं

(घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात — लागू नहीं

(ड.) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप — लागू नहीं

(च) विस्थापन का तनाव — लागू नहीं

(छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाघात — लागू नहीं

6. चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात –

(क) पूर्व–सन्निर्माण चरण — लागू नहीं

(ख) सन्निर्माण चरण — लागू नहीं

(ग) प्रवर्तन चरण — लागू नहीं

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण — लागू नहीं

(ड.) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समाघात — लागू नहीं

(च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हांकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात)

सोनादई
सरपंच
ग्राम पंचायत परपा
जनपद पंचायत जगदलपुर (छ.ग.)

Madli
तहसीलदार
जगदलपुर

सुनिता पोयाम
उपसरपंच
ग्राम पंचायत परपा
जनपद पंचायत जगदलपुर (छ.ग.)

पंचनामा

आज दिनांक 27/5/2017 को ग्राम-परपा प०ह०न०-13 परपा रा०नि०मं० जगदलपुर अ० तहसील-जगदलपुर जिला-बस्तर में उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्व तट रेलवे विशाखापटनम के प्रस्ताव अनुसार जगदलपुर से मिलकझीरी तक द्वैत रेल लाईन निर्माण कार्य के लिए ख०न० 106 रकबा 0.32 हे० भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय-2 धारा 4 से 6 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाधान निर्धारण सभा तथा जन सुनवाई) नियम 2016 में निहित प्रावधानों के तहत प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक समाधान अध्ययन करने हेतु कार्यालय कलेक्टर बस्तर जिला जगदलपुर के आदेश क्र०/क/भू० अर्जन/21/2013 जगदलपुर दिनांक 22/4/2017 के अनुसार गठित दल द्वारा प्रभावित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण में यह पाया गया कि प्रभावित क्षेत्र के अर्जन से बस्तर के दुरस्थ अंचल क्षेत्रों में यातायात एवं परिवहन सुविधाओं में वृद्धि होगी। इसके साथ ही व्यापार तथा व्यवसाय में वृद्धि होगी। जिससे शासन के राजस्व में वृद्धि होगी। सुचारु रूप से परिवहन का विकास होने से स्थानीय लोगों को रोजगार तथा नि के नये अवसर उपलब्ध होंगे। जिससे लोगों के सामाजिक, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पूजा स्थल अथवा संपत्ति स्थित नहीं है। जिससे भूमि अर्जन से पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है। अतः उपरोक्त सभी सकारात्मक पक्षों को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों का भू० अर्जन किया जाना उचित होगा। पंचनामा स्थल पर पढ़कर सुनाया गया।

विवेक त्रिपाठी
पुत्र / स्वामी कुमार त्रिपाठी
श्रीमती राजपति त्रिपाठी
ख०नं० 106
27/05/17

Madhi
27/5/17
तहसीलदार जगदलपुर

भुवन पाण्डे
पटवारी हल्का नं० 93
दिनांक 26/5/96

सोनादई
सरपंच
ग्राम पंचायत परपा